न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :– 41/2024
जीसीएमएस नंबर :– 2024/142

वादीगण–

1. श्रीमती पूजा परिहार पत्नी श्री ललित गहलोत पुत्री स्व. श्री कालूसिंह जी, निवासी परिहारों का बास, मंगरा पूंजला, जोधपुर।
2. रेखा पुत्रि स्व. श्री कालूसिंह निवासी परिहारों का बास, मंगरा पूंजला जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी–

1. राजूसिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारीसिंजी, जाति माली, निवासी, परिहारों का बास मंगरा पूंजला जोधपुर।
2. श्रमती जमना पत्नी स्व. श्री कालूसिंह जी, जाति माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
3. नरेन्द्र परिहार पुत्र स्व. श्री कालूसिंह जी परिहार, जाति माली, निवासी परिहारों का बास मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. निशा पुत्री स्व. श्री कालूसिंह पत्नी मनीष गहलोत जाति माली, निवासी परिहारों का बास मगरा पूंजला जोधपुर।
5. तहसीलदार जोधपुर।
6. पटवारी (भू.अ.) सुरपुरा तह. व जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>
<u>सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

<u>–::निर्णय::–</u> दिनांकः– 07/05/2025

अधिवक्तागणः –

1. प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री ओ.पी. राठी।
2. वादीगण/अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मंजुल श्रीमाली, श्री नरेश नागौरी अनुपस्थित ।

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 का आपस में रक्त संबंध है। एवं वादीगण के दादा गिरधारीसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जी परिहार की खातेदारीशुदा कब्जाशुदा, कास्तशुदा खेत खसरा सं. 24 रकबा 3 बीघा व खसरा सं. 24/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरान् 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम आंगणवा तह. व जिला जोधपुर में आई हुई है। इसी प्रकार खेत खसरा सं. 25 रकबा रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी चाही, खेत खसरा सं. 25/1 रकबा 2 बीघा 13बिस्वा, खसरा सं. 25/2 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं. 25/3 खसरा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 18/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 18 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी चाही कुल रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम आंगणवा तह. व जिला जोधपुर में आई हुई है। यानि दो अलग–अलग खातों की कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है। वादीगण के दादा गिरधारी सिंह ने अपने जीवानकाल

में ही अपनी उपरोक्त वर्णित भूमियों को कुछ भूखण्डों में विभक्त कर कुछ का विक्रय क्रेतागण को कर दिया था। वादीगण के दादा गिरधारीसिंह का दिनांक 05.01.2012 को स्वर्गवास होन के बाद उनके विधिक वारिसान उनकी धर्मपत्नी मीमादेवी, पुत्रियां शायरा, चुकिया, भगवती, कमला ने उक्त भूमि में से बैचान के पश्चात् शेष भूमि में निहित अपनी भूमि को रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के द्वारा संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पिता–पति कालूसिंह व प्रतिवादी सं. 1 राजूसिंह के हक में दिनांक 15.06.2012 को तर्क कर दी। जिसके निष्पादन के माफिक नामा. सं. 982 दिनांक 06.09.2012 के द्वारा अमल दरामद किया गया। तब से कालूसिंह व राजूसिंह बतौर खातेदार घोषि हुए। तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पति/पिता कालूसिंह का दिनांक 13.07.2018 को स्वर्गवास हो गया उसके पश्चात् उनका हिस्सा कृषि भूमि पर उनके विधि प्रथम श्रेणी वारिसान में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 से 5 काबिज काश्त हुए। दीपावली पर वादीगण द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति का बाय मीट्स एवं बाउंड के बंटवारा कर उक्त भूमि को कुल पांच हिस्सों में विभक्त कर सभी वारिसान को उनके नियम 1/5 हिस्सा दे देंगे। लेकिन दिनांक 08.01.2024 को वादीगण को कहा कि इस भूमि में उसका कोई हिस्सा निहित नहीं है और ना ही उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने आपस में गुप्त मंत्रणा करते हुए केई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए बनावटी एवं फर्जी बंटवाडा लिखित में हररीर एवं तकमील कर बिना वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 व 5 को सम्मिलित किए राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों यानि प्रतिवादी सं. 6 व 7 से मिलीभगत कर बंटवाडा कर लिया जो बंटवाड़ा प्रारंभ से ही विधि विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश राठी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से अधिवक्तागण श्री सुमेर पण्डित, नरेश आसवानी ने पेश किया।

प्रतिवादी सं.1 की ओर से उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् बंटवाड़ा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है, सरासर मिथ्या मनगढ़त बिना दस्तावेजी, बिना कब्जा काश्त एवं बिना खातेदारी अधिकारों के प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि गिरधारी सिंह के नाम से थी जिन्होंने अपनी भूमि का अपने पुत्रों को प्रतिवादी सं. 1 राजूसिंह व कालूसिंह पिसरान गिरधारीसिंह को अपने जीते जी बंटनामा करते हुए दे दी थी, जिसका नामा. संख्या 540 दिनांक 06.09.2008 को स्वीकृत किया गया था जिसमें वादीगण का कोई वास्ता नहीं रहा तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री कालूसिंह पुत्र गिरधारी सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुई कालूसिंह के निधन होने पर दिनांक 13.07.2018 को उनके वारिसानों के द्वारा श्रीमति जमना पत्नी कालूसिंह, नरेन्द पुत्र कालूसिंह को हकतर्क कर दिए जाने से वादीगण को उक्त वादग्रस्त भूखण्ड मतें किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहा तथा वादीगण के पास में हकतर्कनामा किए जाने से अपने अधिकार समाप्त कर दिए थे, जिन्हें वादग्रस्त भूमि के लिए वाद प्रस्तुत करने का बिना खातेदारी के कोई अधिकार नहीं रहता उपरोक्त आधार से वादीगण का वाद विधि में सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार एवं बिना कब्जे काश्त के एवं बिना खातेदारी के होने से वादी का वादी इसी स्तर पर निरस्त किया जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में हो चुका है पुनः बंटवाड़ा के लिए वाद करने का या वादीगण का किसी

भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होते हुए उक्त वाद लाने का विधि के अनुसार बाधित होने से वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया एवं अधिवक्ता वादीगण को प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गयी । अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 25.03.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवायी गयी, एवं जवाब शामिल मिशल किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता कालूराम जी का स्वर्गवास दिनांक 13.07.2018 को हो गया था उनके जीवनकाल में उनके द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि का किसी भी रूप में बंटवाडा नहीं किया गया था, जैसा कि हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कालूजी की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी पर उनके समस्त वारिसान का हक हकूक अधिकार जैसा कालूजी का था वैसा हो चुका है। कालूराम जी की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन में उनकी पत्नी जमना यानि वादीगणों की माता, नरेन्द्र का ही नाम भरा गया था, जबकि कानूनी रूप से वादीगण पूजा एवं रेखा तथा कालूजी की तीसरी पुत्री निशा का नाम भी रिकार्ड में दर्ज होना आवश्यक है। परंतु प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा व प्रतिवादी सं. 5 व 6 से मिलावट कर अपने स्वयं के नाम से म्यूटेशन जमाबंदी में अपना नाम अंकित करवा लिया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खाजिर किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थी को बहस हेतु उचित अवसर दिए जाने के बावजूद अनुपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11, सपठित 151 सीपीसी बहस प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पंजीबद्ध हकर्तकनामा दिनांक 04.02.2022 पेश किया जो उपपंजीयक जोधपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 04.02.2022 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1569 में पृष्ठ सं. 19 क्रम सं. 202203052100915 पर पंजीबद्ध है। जिसके अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि निशा पत्नी श्री मनीष गहलोत पुत्री स्व. श्री कालूसिंह, पूजा परिहार पुत्री स्व. श्री कालूसिंह एवं रेखा पुत्री स्व. श्री कालूसिंह ने अपना हक जमना पत्नी स्व. श्री कालूसिंह, नरेन्द्र परिहार पुत्र स्व. री कालूसिंह परिहार के पक्ष में तहरीर व तकमील किया है। वादीगण हकतर्कनामा किए जाने से अपने अधिकार समाप्त कर दिए थे, जिन्हें वादग्रस्त भूमि के लिए वाद प्रस्तुत करने का बिना खातेदारी के कोई अधिकार नहीं रहता। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से हो चुका है इस संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भू.अ./बंटवाड़ा/2022/3762 दिनांक 07.07.2022 का उल्लेख किया। उपरोक्त आधार से भी वादीगण का वाद विधि से सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार एवं बिना कब्जे काश्त एवं बिना खातेदारी का होने से विधि द्वारा वर्जित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमियों का रिकोर्डेड खातेदार/उपखातेदार/सहखातेदार नहीं होने से वह उक्त भूमियों का अभिधारी नहीं होने से धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी व्यादेश का वाद पेश नहीं कर सकते हैं, उक्त धारा के तहत वाद सिर्फ अभिधारी ही पेश कर सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 01/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालत मुकाम जोधपुर व इजलास

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उतर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :– 41/2024
जीसीएमएस नंबर :– 2024/142
वादीगण–

1. श्रीमती पूजा परिहार पत्नी श्री ललित गहलोत पुत्री स्व. श्री कालूसिंह जी, निवासी परिहारों का बास, मंगरा पूंजला, जोधपुर।
2. रेखा पुत्रि स्व. श्री कालूसिंह निवासी परिहारों का बास, मंगरा पूंजला जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी–

1. राजूसिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारीसिंजी, जाति माली, निवासी, परिहारों का बास मंगरा पूंजला जोधपुर।
2. श्रमती जमना पत्नी स्व. श्री कालूसिंह जी, जाति माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला जोधपुर।
3. नरेन्द्र परिहार पुत्र स्व. श्री कालूसिंह जी परिहार, जाति माली, निवासी परिहारों का बास मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. निशा पुत्री स्व. श्री कालूसिंह पत्नी मनीष गहलोत जाति माली, निवासी परिहारों का बास मगरा पूंजला जोधपुर।
5. तहसीलदार जोधपुर।
6. पटवारी (भू.अ.) सुरपुरा तह. व जिला जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 88 व 188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 41/2024 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्तागण श्री मंजुल श्रीमाली, श्री नरेश नागौरी व प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता श्री ओ. पी. राठी हाजिर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर, वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

लीज....x.....मुबलिक.....x.....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह .....x..... की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x.....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 07/05/2024 की जारी की गई।

प्रीतम कुमार, (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अहवान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर